मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

पंजीकृत टैक्सी ऑपरेटरों/कार/टेम्पो ट्रैवलर/बस किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों से पैनल में शामिल होने हेतु आवेदन के लिए ई-निविदा

ई-निविदा सूचना - RBI/Delhi Regional Office/HRMD/1/26-27/ET/63

उक्त निविदा के संबंध में बोली-पूर्व बैठक 08 जून, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कार्यकारी सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

2. सभी प्रतिभागियों का स्वागत करने के बाद महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंध विभाग) ने निविदा दस्तावेज़ तथा निविदा प्रक्रिया में समयसीमा के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा प्रतिभागियों से उनके किसी भी संदेह या प्रश्न को रखने का अनुरोध किया। प्रतिभागियों एवं संभावित बोलीदाताओं द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों तथा उन प्रश्नों के दिए गए स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रश्न	हमारा उत्तर
1	क्या विक्रेता परिवहन मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आरसी, बीमा आदि सभी वाहन दस्तावेज़ों का एक समेकित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है?	हाँ। ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते उसमें वाहनों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण हों तथा दस्तावेज़ों को बोलीदाता द्वारा स्वप्रमाणित (Self-attested) किया गया हो।
2	(i) यदि किसी विक्रेता के पास स्वयं की बस/टेम्पो ट्रैवलर नहीं है, तो क्या वह निविदा में आवेदन कर सकता है? (ii) क्या बस एवं टेम्पो ट्रैवलर के लिए दरें उद्धृत करना आवश्यक है?	(i) बस/टेम्पो ट्रैवलर का स्वामित्व अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कार्य-क्षेत्र (Scope of Work) के अनुसार सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। (ii) हाँ, बस एवं टेम्पो ट्रैवलर दोनों सेवाओं के लिए दरें उद्धृत करना अनिवार्य है। निविदा दस्तावेज के खंड iv(a) अनुच्छेद 3 (i) (एफ) का संदर्भ लें
3	क्या न्यूनतम दैनिक बाहरी यात्रा दूरी (Outstation Distance) को 250 किमी से बढ़ाकर 300 किमी किया जा सकता है?	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
4	क्या एकल स्वामित्व (Proprietorship) फर्म के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी आवश्यक है?	एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि प्रोप्राइटर स्वयं सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करें। तथापि बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के अनुभाग III(b), बिंदु 1 के अनुसार पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

5	चूंकि यह एक पैनलमेंट (Empanelment) है और कार्य/व्यवसाय को पैनल में शामिल विक्रेताओं के बीच विभाजित किया जाएगा, तो क्या अनुमानित वार्षिक निविदा मूल्य के 100% के बराबर सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है?	हाँ। बोलीदाता के पास निविदा की अनुमानित वार्षिक लागत के कम से कम 100% मूल्य की सॉल्वेंसी होनी चाहिए। प्रारूप-5 के अनुसार प्रमाणपत्र जमा करना होगा। निविदा दस्तावेज़ के खंड III(b), अनुच्छेद 6 का संदर्भ ले
6	क्या स्टार्टअप कंपनियों को विशेष रूप से पूर्व अनुभव की शर्तों में कोई रियायत प्रदान की गई है?	नहीं।
7	यदि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो क्या अधिग्रहित कंपनी का अनुभव पात्रता के लिए मान्य होगा?	पात्रता का आकलन बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा तथा यह देखा जाएगा कि वे निविदा की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।
8	क्या अनुभव प्रमाणपत्र किसी निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना आवश्यक है?	ग्राहक प्रमाणपत्र में निविदा दस्तावेज़ के प्रारूप 3A में क्रम संख्या 1 से 12 तक उल्लिखित सभी बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। यदि क्रम संख्या 13 की विस्तृत जानकारी उपलब्ध न हो, तो संक्षिप्त टिप्पणियाँ विचार की जा सकती है। बैंक को निविदाकर्ता के ग्राहक से इसकी पुष्टि कराने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा दस्तावेज के फॉर्मेट 3A का संदर्भ लें।
9	यदि कोई बोलीदाता RBI के अनेक कार्यालयों के साथ कार्य कर रहा है, तो क्या उसे एक ही असाइनमेंट माना जाएगा या अलग-अलग?	प्रत्येक अनुबंध को अलग-अलग माना जाएगा तथा खंड III(b) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
10	यदि किसी श्रेणी में बोलीदाता के पास न्यूनतम आवश्यक वाहनों से कम वाहन हों, लेकिन दूसरी श्रेणी में अधिक हों, तो क्या अतिरिक्त वाहनों को समायोजित किया जा सकता है?	यदि किसी श्रेणी में वाहन न्यूनतम आवश्यकता से कम हैं, तो उसकी पूर्ति उच्च श्रेणी/सेगमेंट के अधिक वाहनों से की जा सकती है, लेकिन निम्न श्रेणी/सेगमेंट के वाहनों से नहीं। निविदा दस्तावेज के खंड iii (b) अनुच्छेद 3 (i) का संदर्भ लें।

3. विभिन्न कार एजेंसियों/कंपनियों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए बैठक संपन्न हुई।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
नई दिल्ली

अनुबंध

सहभागियों की सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के अधिकारीगण		
क्र.सं.	**सहभागियों के नाम**	**पदनाम**
1.	श्री आर पी सिंह	महाप्रबंधक
2.	श्री धर्मेंद्र आज़ाद	सहायक महाप्रबंधक
3.	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक
4.	श्री प्रेम प्रकाश	सहायक प्रबन्धक
5.	श्री साहिल मथारु	सहायक

कार एजेंसियों/कंपनियों के प्रतिनिधि		
क्र.सं.	**सहभागियों के नाम**	**पदनाम**
1.	श्री दमनदीप सिंह	अवतार ट्रावेल्स
2.	श्री अभिजीत पटोडिया	फैब कार ट्रेवल्स
3.	श्री अर्जुन सिंह	फैब कार ट्रेवल्स
4.	श्री परदीप सिंह	आई पी ट्रैवल लाइंस
5.	श्री जसमीत सिंह	आई पी ट्रैवल लाइंस
6.	श्री गौरव कुमार	एल आर टॅक्सी सर्विसेस
7.	श्री नरेंद्र पाल सिंह	ऑन डॉट रेंट ए कार
8.	श्री संजय कुमार	राज टूर एंड ट्रावेल्स
9.	श्री सुदीप्ता दे	रूईया कार रेंटल्स
10.	श्री अनुज कुमार दुबे	रूईया कार रेंटल्स
10.	श्री दलजीत सिंह	वालिया ट्रांसपोर्ट
11.	श्री अमित गुप्ता	व्हाइट रोज़ ट्रावेल्स